कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बीडा भदोही.

पत्र संख्या बीडा / तकनीकी–दो / (1754) / 21 / 9659 दिनांक 4-1-22

## कार्यादेश

सेवा में,

मे0 राम सूरत एण्ड कम्पनी
प्रो0 राम प्रताप यादव
नि0 औरैला,
जिला–जौनपुर।

**विषय : रजपुरा वाणिज्यिक सह–आवासीय योजना में निर्मित बीडा मार्ट पर प्रथम तल एवं द्वितीय तल के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपकी निविदा दिनांक 24.12.2021 जो आगणित दर पर रही, सर्व निम्न होने के कारण मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 02.01.2022 को स्वीकृति दी गयी है, जिसके अनुसार कार्य की कुल लागत धनांक रू0 55158518.00 एवं 12 प्रतिशत जी.एस.टी. धनांक रू0 6619022.00 कुल धनराशि रू0 61777600.00 (छः करोड़ सतरह लाख सतहत्तर हजार छः सौ) मात्र हो रही है।

अतः आपसे अपेक्षित है कि निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप उक्त कार्य को दिनांक 11.01.2022 से प्रारम्भ कर एक वर्ष 10.01.2023 तक निश्चित रूप से पूर्ण करा दें, अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध के अनुसार विलम्ब हेतु कटौती की जायेगी। कार्यादेश निर्गत तिथि के पश्चात 15 दिन के अन्दर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा ठेका निरस्त समझा जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षित है कि 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि, राष्ट्रीय बचत पत्र / एफ.डी.आर. के रूप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी बीडा के पक्ष में बन्धक हो तथा रू0 110 /– नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर राजकीय कोषागार भदोही से क्रय कर कार्यालय में जमा कर आवश्यक अनुबन्ध करा लें। साथ ही 100 /– रू0 के स्टैम्प पेपर पर इस आशय का बाण्ड / शपथ कार्यालय में दे दें कि यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष मे निर्णय पारित किया जाता है तो आप द्वारा ठेका अनुबन्ध में लगने वाले अवशेष स्टाम्प पेपर के निमित्त स्टैम्प शुल्क का भुगतान विभाग के लेखा शीर्षक में जमा कर दिया जायेगा। किन्ही भी परिस्थितियों में स्टैम्प पेपर का क्रय कोषागार से ही होगा और इसके सही होने की समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

इस कार्य के अवर अभियन्ता श्री आदित्य यादव तथा श्री प्रदुम्न कुमार सिन्हा (विद्युत) होंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण श्री आर0डी0 भारती प्र0 सहायक अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्य से सम्बन्धित अभियन्ताओं से सम्पर्क स्थापित करते हुए ड्राईंग डिजाईन प्राप्त कर कार्य को निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप' समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। अवर अभियन्ताओं के मध्य कार्य स्थल पर कार्यो / दायित्वों का निर्धारण सहायक अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी कार्य का समय–समय पर निरीक्षण करते हुए यथोचित मार्ग निर्देशन दिया जायेगा, जिसका अनुपालन तकनीकी स्टाफ के अतिरिक्त आपको भी करना होगा। कार्य

(C-1)D:\p4\Technical\Tecnical letter2.doc

Scanned with CamScanner

समय सीमा के अन्दर पूर्ण न होने की स्थिति में अनुबन्ध/कार्यादेश /वित्तीय हस्तपुस्तिका के शर्तों/ नियमों के अन्तर्गत अर्थदंण्ड अथवा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

कार्य प्रारम्भ होने व, कार्य को पूर्ण कराने के पश्चात आपको साइट की फोटोग्राफी सम्बन्धित अवर अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता के समक्ष करानी होगी। कार्य के दौरान निम्न विन्दुओं पर अनुपालन अति आवश्यक होगा :–

1. अनुबन्ध के पूर्व इस कार्य का पंजीकरण श्रम विभाग, ज्ञानपुर में कराना अनिवार्य है।
2. कोई मैटेरियल कार्य स्थल पर निम्न क्वालिटी का गिरा पाये जाने पर आपके हर्जे–खर्चे पर एवं रू0 10000.00 पेनाल्टी के साथ साइट से हटवा दिया जायेगा।
3. अन्तिम भुगतान के समय प्रस्तुत एमएम 11 सही होने की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की स्वयं होगी।
4. मैटेरियल की जॉच ठेकेदार द्वारा कराकर प्रस्तुत करनी होगी।
5. जमानत धनराशि का भुगतान अन्तिम भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के उपरान्त ही किया जायेगा तथा उक्त एक वर्ष की अवधि में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
6. कार्य के दौरान कोविड–19 के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन करना होगा।

भवदीय,

(ओ0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
O/C 04/01/22 04-01-22

पत्र संख्या बीडा/तकनीकी–दो/(1754)/21/9659 दिनांक 4-1-22
प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. श्रम आयुक्त, ज्ञानपुर भदोही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्बन्धित अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि वे कार्य के दौरान निश्चित रूप से साइट पर उपस्थित रहेंगे तथा कार्य गुणवत्ता के अनुरूप निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।
4. वित्त एवं लेखानुभाग।
5. बाण्ड पत्रावली में संलग्न करने हेतु।

4/1/2022
(ओ0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता।
O/C 04/1/22 04-01-22

Scanned with CamScanner

**कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी**
**भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण**
**बीडा–भदोही**

पत्र संख्या : बीडा / तकनीकी / 2 (1745) / 21 / मेमो0 दिनांकः 02.05.2022

सेवा में,

मेंसर्स राम सुरत एण्ड कम्पनी
प्रो0 राम प्रताप यादव
नि0 औरैला, जिला जौनपुर।
पत्राचार पता–एच.आई.जी प्रथम–33
जमुनीपुर आवासीय योजना भदोही।

कृपया बीडा कार्यालय के पत्र सं0 9659 दिनांक 04.01.2022 द्वारा निर्गत कार्यादेश का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त कार्यादेश के अनुसार निर्माणाधीन बीडा मार्ट पर प्रथम एवं द्वितीय तल के कार्य को दिनांक 11.01.2022 से प्रारम्भ कर दिनांक 10.01.2023 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर देना है। परन्तु कार्यादेश निर्गत हुए लगभग 04 माह व्यतीत हो जाने पर भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अवर अभियन्ता एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि कार्य निर्धारित समय अवधि के अन्दर पूर्ण नहीं हो पायेगा।

अतः आपसे अपेक्षित है कि कार्य यथा शीघ्र प्रारम्भ करें और तय समय सीमा के अन्दर पूर्ण करें।

(आर0डी0 भारती)
सहायक अभियन्ता
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भदोही
दिनांक 02.05.2022